राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3048/2025

कविता बाई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव सह आयुक्त, पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.06.2025
आदेश की दिनांक : 30.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री पवन कुमार/योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I के पद पर राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय, जहांजपुर, ब्लॉक गोविन्दगढ़ में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा क्रमांक 49 के अनुसार अपीलार्थी को मिले नोशनल लाभों पर आपत्ति दर्ज करते हुए अपीलार्थी की प्रथम एसीपी रोक दी गई, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध एवं नियमानुसार गलत है। जबकि कार्यालय आदेश दिनांक 07.01.2020 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के मुख्य परिणाम की वरीयता से नियुक्त शिक्षकों के समान नोशनल लाभ परिलाभ प्रदान करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 14011/2018 साजिद अली एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश के द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 3 के पत्र दिनांक 01.02.2019 के प्राप्त निर्देशानुसार इन्हें नगद लाभ परिवीक्षा काल पूर्ण किये जाने के उपरांत वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से ही नियमानुसार प्राप्त हुए है। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 03.03.2025 (अनुलग्नक–5) को

अभ्यावेदन प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय तथा कार्यालय आदेशों की पालना में नियमानुसार मिले नोशनल लाभों पर लगी आपत्ति हटाते हुए प्रथम एसीपी स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में नियमानुसार मिले नोशनल लाभों पर लगी आपत्ति हटाते हुए प्रथम एसीपी का लाभ दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष